



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh



F. No.: 9-HRB170-2018-CHA



Dated: December, 2024

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
हरियाणा सरकार,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
चण्डीगढ़ 160001 ([fcforest@hry.nic.in](mailto:fcforest@hry.nic.in))

**विषय:- Diversion of 0.0104 ha of forest land in favour of M/s Bhagat Rice Mills for access to M/s Bhagat Rice Mills along Delhi-Ambala road, NH-1 (New NH 44), near km. stone 174, R/side, at Village Teora, under forest division and District Kurukshetra, Haryana(online proposal number FP/HR/Approach/33604/2018)-reg**

**संदर्भ:-** State Government letter dated 04.10.2024.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार, हरियाणा द्वारा दिनांक **27.09.2018** को **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक dated 04.10.2024. (**ऑनलाइन पोर्टल**) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0104** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों की कटाई पर खर्च की गई राशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग को जमा की जाएगी।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना **RF Ramgarh, Teh Pehowa, district Kurukshetra** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA & ACA sites को नहीं बदला जाएगा।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।
- यह अनुमति **99 वर्षों** के लिए वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

- xii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- xiii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xiv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
- xvii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।
- xviii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |
3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)  
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)  
RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. Inspector General of Forests (ROHQ), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh, Aliganj, New Delhi. ([ramesh.pandey@nic.in](mailto:ramesh.pandey@nic.in)).
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([pccf-hry@nic.in](mailto:pccf-hry@nic.in))
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([cffcpanchkula@gmail.com](mailto:cffcpanchkula@gmail.com)).
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Kurukshetra, Haryana.
5. Mis Bhagat Rice Mills, Village Teora, District Kurukshetra, Haryana.